एमपी नगर एसडीएम की उदासीनता पर नाराज हुए मंत्री सारंग

भोपाल (काप्र)।

सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने शुक्रवार को मंत्रालय में नरेला विधानसभा अतंर्गत विभिन्न विकास कार्यों एवं द्वारकाधाम तथा गोकुलधाम कॉलोनी में विद्युत कनेक्शन के संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह, विद्युत वितरण कंपनी, नगर निगम, बीएचईएल, रेलवे, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली।

श्री सारंग ने द्वारकाधाम और गोकुलधाम में बिजली की समस्या दूर करने के लिए द्वारकाधाम में बिजली सब स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिये। इसके लिए कॉलोनी के रहवासी और बिल्डर पूर्व की बकाया राशि को 5 किश्तों में जमा करेंगे। प्रथम किस्त 15 दिसंबर को बिल्डर द्वारा जमा की जाएगी। मंत्री और कलेक्टर के समक्ष इस संबंध में दोनों पक्षों ने रजामंदी दी। सुभाष नगर आर.ओ.बी. पर प्रस्तावित थर्ड लेग निर्माण के लिये मोतीनगर के अतिक्रमण तथा झुग्गियों के विस्थापन पर समय पर कार्यवाही न करने पर और अनुविभागीय अधिकारी, वृत्त एमपी नगर की उदासीनता पर श्री सारंग ने नाराजगी व्यक्त की। श्री सारंग ने नरेला विधानसभा अंतर्गत अन्नानगर, विकास नगर, बौद्ध बिहार, कैलाश नगर, सुदामा नगर, पुराना नगर के रहवासियो को स्थाई विद्युत कनेक्शन देने के संबंध में निर्णय लिया। बैठक में नवनिर्मित सुभाष नगर आरओबी पर प्रस्तावित थर्ड लेग निर्माण के लिये मोतीनगर के अतिक्रमण तथा झुग्गियों के विस्थापन पर निर्णय लिया गया। कलेक्टर सात दिवस में कार्यवाही पूरी करें जिससे रेल्वे की योजना को समय सीमा में पूरा किया जा सके। श्री सारंग ने निर्देश दिए कि ऐशबाग क्षेत्र में जर्जर मकानों में रह रहे वैध 50 परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जाए। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड को निर्देशित किया कि इन परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। जर्जर मकानों को धराशायी करने की प्रक्रिया पुनर्वास कार्य पूरा होने के तुरंत बाद शुरू होगी। सुभाष नगर आरओबी पर प्रस्तावित थर्ड लेग निर्माण के लिये मोतीनगर के अतिक्रमण तथा झुग्गियों के विस्थापन पर समय पर कार्यवाही नहीं करने पर और अनुविभागीय अधिकारी, वृत्त एमपी नगर की उदासीनता पर श्री सारंग ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अब अगर समय पर एसडीएम ने कार्य नहीं किया तो उनको वहां से हटाने की कार्रवाई की जाये।

विद्यार्थियों की बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस सुनिश्चित करेंगे शिक्षण संस्थान

भोपाल(काप्र)। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययनरत संस्थाओं में 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये सभी शैक्षणिक संस्थाओं को यूनिक आईडी आधार बेस्ड बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के लिये कहा गया है। शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसी अनुक्रम में पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं। यह जानकारी विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में दी गयी।

श्रीमती गौर ने विभाग से विभागीय छात्रावासों में मैस व्यवस्था शुरू करने, सौर ऊर्जा प्लांट लगाने, बाउण्ड्री-वॉल बनाने के संबंध में की जा रही कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि पिछड़ा वर्ग के कन्या छात्रावासों में मैस संचालन के लिये शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। श्रीमती गौर ने विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी ढंग से हो रहा है। इसमें जिस किसी ने भी कोई शिकायत की है, तो उसकी शिकायत का समाधानकारक जवाब दें। श्रीमती गौर ने दिल्ली छात्र-गृह योजना में छात्र संख्या 50 से बढ़ाकर 150 करने और सहायता राशि में वृद्धि करने के लिये प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की जानकारी दी गयी। बैठक में विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के संबंध में बताया गया कि अब तक पिछड़ा वर्ग के 7 विद्यार्थियों को जापान में प्लेसमेंट दिलाया गया है। अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण अजीत केसरी, आयुक्त सौरभ सुमन, संचालक विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतु नीरज वशिष्ठ और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर ने रैन बसेरों का निरीक्षण कर सुविधाओं का लिया जायजा

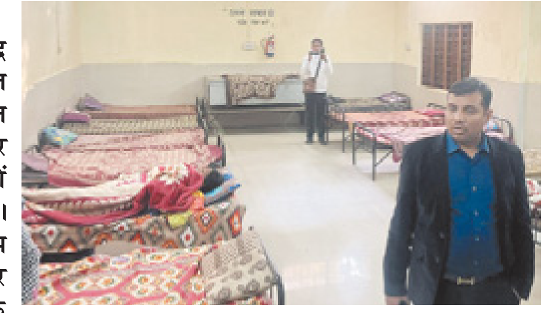

भोपाल(काप्र)। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आज शहर के विभिन्न रैन बसेरों का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने ठंड के मौसम में बेघर और जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया।

कलेक्टर ने सुनिश्चित किया कि रैन बसेरों में रह रहे लोगों को ठंड से राहत देने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं मौजूद हों। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रैन बसेरों में पर्याप्त सफाई, बिस्तर, कंबल और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण और सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया कि रैन बसेरों में नियमित रूप से व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाए और किसी भी प्रकार की कमी को तुरंत दूर किया जाए। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि ठंड के मौसम में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति खुले में न सोए और सभी को रैन बसेरों में शरण दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को सतर्कता बरतने और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो।

इज्तेमा की तैयारियों का किया निरीक्षण

भोपाल के ईंटखेड़ी में आयोजित इज्तेमा की तैयारियों का कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने आयोजन स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने यातायात प्रबंधन, साफ- सफाई, पानी की आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था का विशेष तौर पर अवलोकन किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि लाखों व्यक्तियों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं कुशलतापूर्वक पूरी की जाएं। उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक भी की, जहां उन्होंने इज्तेमा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी विषयों पर चर्चा की।

धृति पुलिस परिवारों के सशक्तिकरण की पहल

भोपाल। 25वीं वाहिनी विसबल में पुलिस परिवारों की महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए एक नई पहल धृति पुलिस कल्याण केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान धृति की अध्यक्ष श्रीमती प्रियम्वदा सक्सेना ने कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया, जो महिलाओं के संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी को उजागर करती है। धृति का उद्देश्य पुलिस परिवारों की महिलाओं को उनके हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन करने और आत्मनिर्भर बनने का एक मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम में प्रदर्शित हस्तनिर्मित उत्पादों की सराहना की गई, जो महिलाओं की मेहनत और हुनर को दर्शाते है। इस अवसर पर श्रीमती सक्सेना ने कहा कि धृति ने महिलाओं को घर से बाहर निकलने और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने का अवसर दिया है, जैसे कि डांस, योग, सिलाई और पेंटिंग। प्रदर्शनी में 200 से 250 प्रकार के उत्पादों को देखा गया। डीआईजी श्रीमती कृष्णवेणी देसावतु और अन्य अधिकारियों ने इस पहल को महिलाओं के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया और इसे आगे भी जारी रखने का आश्वासन दिया।

प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह हेतु उप मुख्यमंत्री को आमंत्रण

भोपाल। आगामी 8 दिसम्बर को संगरिया में जीनगर समाज के भामाशाहों की उपस्थिति में समाज के 255 मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्मान और छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम हेतु उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को समिति के राष्ट्रीय सह संयोजक भगवान दास ढालिया और अमर शहीद बीरबल ढालिया जन कल्याण परिषद के पदाधिकारी राजकुमार सांखला ने आमंत्रण पत्र देकर कार्यक्रम में उपस्थित होने का निवेदन किया। श्री देवड़ा को जानकारी देते हुए श्री ढालिया ने बताया की छात्रवृत्ति भेंट का यह कार्यक्रम राजकीय सेवा में अधिकारी सावन कुमार चायल की अध्यक्षता में संगरिया में आयोजित है। आयोजन में भामाशाह दानदाता और समाज के विभिन्न पदों पर रहकर समाज हितेषी और समाज की चिंता करने वाले प्रबुद्धजनों एसएस पवार, टीकमचंद चौहान, गोपाल जीनगर,संपत लाल पवार, नारायण दास आसैरी,नरेंद्र सांखला, हीरालाल सांखला, लोकेश परमार,अनिल कछावा, पृथ्वीराज चौहान है।

निगम के नौ कर्मचारी सेवानिवृत्त

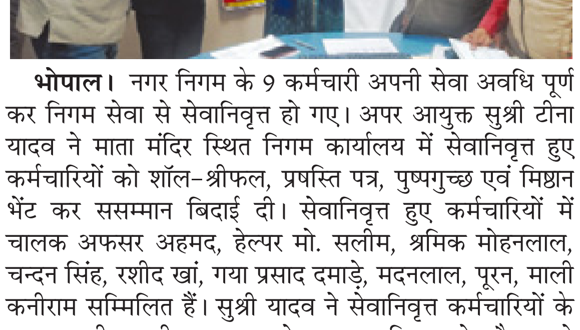

भोपाल। नगर निगम के 9 कर्मचारी अपनी सेवा अवधि पूर्ण कर निगम सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। अपर आयुक्त सुश्री टीना यादव ने माता मंदिर स्थित निगम कार्यालय में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को शॉल-श्रीफल, प्रषस्ति पत्र, पुष्पगुच्छ एवं मिष्ठान भेंट कर ससम्मान बिदाई दी। सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों में चालक अफसर अहमद, हेल्पर मो. सलीम, श्रमिक मोहनलाल, चन्दन सिंह, रशीद खां, गया प्रसाद दमाड़े, मदनलाल, पूरन, माली कनीराम सम्मिलित हैं। सुश्री यादव ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सुखमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष सहित निगम के अन्य कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

केनरा बैंक Canara Bank | सिंडिकेट Syndicate

क्षेत्रीय कार्यालय : तृतीय ब्लॉक, पांचवी मंजिल, पर्यावास भवन, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल

विषय: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 13 (8) के अंतर्गत मोचन के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सूचना

अधोहस्ताक्षरी, केनरा बैंक, संबंधित शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय,भोपाल (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, अधिनियम के तहत नियुक्त, अधिनियम की धारा 13 (8) के साथ सरफेसी नियमों के नियम 8 (6) के तहत, आप सभी को निम्नानुसार यह नोटिस जारी करते हैं:

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुरक्षित ऋणदाता ने अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत, नीचे उल्लेखित ऋणीयों को, उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लेखित राशि और उस पर ब्याज का भुगतान करने की मांग करते हुए, नीचे उल्लेखित दिनांक को मांग सूचना जारी किया था।

चूंकि, ऋणी/फर्म, बंधककर्ता और जमानतदार उपरोक्त मांग सूचना में उल्लेखित राशि चुकाने में विफल रहे है, इसलिए अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे उल्लेखित कब्जे की सूचना में वर्णित सुरक्षित संपत्तियों का सांकेतिक/भौतिक कब्जा ले लिया था। इसके अलावा, उक्त सांकेतिक/भौतिक कब्जे की सूचना को नीचे उल्लेखित समाचार पत्रों में नीचे उल्लेखित दिनांक को विधिवत प्रकाशित किया गया था।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को सरफेसी नियमों के नियम 8 (6) के साथ पालन करने के लिए, आप सभी को इस सूचना की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर सुरक्षित लेनदार के कब्जे में सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने और पुनः प्राप्त करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें नीचे उल्लेखित देयताओं और बाद के ब्याज, लागतों और खर्चों को पूरी तरह से चुकाना शामिल है, ऐसा न करने पर अधिनियम के तहत नीलामी सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने के लिए नीचे उल्लेखित निम्नलिखित तरीकों में से एक को निर्दिष्ट किया जाएगा:

1.समान सुरक्षित परिसंपत्तियों से निपटने वाले या परिसंपत्तियों को खरीदने में अन्यथा रुचि रखने वाले व्यक्तियों से उद्धरण प्राप्त करके; या
2. जनता से निविदाएं आमंत्रित करके, या
3. ई-नीलामी मोड के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी आयोजित करके; या
4. निजी संधि द्वारा।

अधिनियम की धारा 13 (8) के अनुसार, आप समाचार पत्रों में बिक्री सूचना के प्रकाशन की दिनांक से पहले किसी भी समय सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के हकदार हैं, ऐसा न करने पर अधिनियम की धारा 13 (8) के अनुसार बंधक संपत्ति को भुनाने का आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा।

यह विषय अधिनियम/या लागू किसी अन्य कानून के तहत सुरक्षित ऋणदाता को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है।

खाते/ऋणी/जमानतदार का नाम	बकाया राशि	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक	समाचार पत्र का नाम एवं प्रकाशन दिनांक
केनरा बैंक, सांची शाखा, सांची			
ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता: **1. श्री बद्री सिंह सेन पुत्र श्री राम सिंह** निवासी: सिंचाई कॉलोनी के पास, रतलाल, सलामतपुर, जिला रायसेन **2. श्री दातार सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह** निवासी- ग्राम महवाल, पी.ओ. उचेर, जिला- रायसेन	₹ 262099.00/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	28.06.2013 24.03.2021	पीपुल्स समाचार (हिन्दी समाचार पत्र) पायोनियर (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 27.03.2024
केनरा बैंक, मंडीदीप शाखा, मंडीदीप			
ऋणी : **मेसर्स गोल्डन फूड्स प्रोप. श्री प्रवीण रोड़े पुत्र स्व. श्री शिवाजी पायल,** मकान नंबर 125, वार्ड नंबर 03, होली मोहल्ला, मंडीदीप 462046	₹ 23,28,003.17/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	21.05.2021 25.03.2022	हरीभूमि (हिन्दी समाचार पत्र) पायोनियर (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 30.03.2022
ऋणी : **श्री कुलदीप कुमार तिवारी पुत्र श्री शालिग्राम तिवारी** सहऋणी: **श्रीमती लक्ष्मी तिवारी पत्नि श्री कुलदीप कुमार तिवारी** दोनों का पता: 53-ए सेक्टर, सांवरिया एग्रो लाइन,मण्डीदीप, जिला रायसेन, म.प्र.-462046	₹ 10,38,166.92/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	08.07.2024 16.11.2024	राज एक्सप्रेस (हिन्दी समाचार पत्र) पायोनियर (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 20.11.2024
ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता: **श्री नरेश कुमार मालवीय पुत्र श्री राम गोपाल मालवीय,** मकान नं. 321, वार्ड नंबर 26 भव्या सिटी मंडीदीप रायसेन म.प्र. 462046 **श्रीमती रुपाली मालविया पत्नी श्री नरेश कुमार मालविया** मकान नं. 321, वार्ड नंबर 26 भव्या सिटी मंडीदीप रायसेन म.प्र. 462046	₹ 1911462.00/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	12.01.2023 05.12.2023	लोकदेश (हिन्दी समाचार पत्र) फ्रीप्रेस (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 06.12.2023
केनरा बैंक, बैरसिया रोड शाखा, भोपाल			
ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता: **मेसर्स गुर्जर एग्रो सेल्स** मकान नंबर 298 जैन नगर, लालघाटी भोपाल शाखा कार्यालय: पीपल्स मॉल रोड, करोंद चौराहा के पास, भोपाल **श्री हेमसिंह गुर्जर पुत्र श्री कल्दार सिंह** **श्रीमती नीतू गुर्जर पत्नी श्री हेम सिंह गुर्जर** दोनों का पता: मकान नंबर 298 लालघाटी जैन नगर भोपाल	₹ 42,67,847.71/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	16.04.2021 11.05.2023	हरीभूमि (हिन्दी समाचार पत्र) फ्रीप्रेस (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 17.05.2023
ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता: **मेसर्स मुमताज ट्रेडर्स प्रोपराइटर- श्री सैयद मुमताज अली पुत्र श्री सैयद मुश्ताक अली** प्लॉट नंबर 597, चाई गोल्डन ट्रांसपोर्ट के पीछे, केटेग्राइज्ड मार्केट, भोपाल-462001 म.प्र. **श्रीमती सईद अस्मा अली पत्नि मोहम्मद समीर** **श्रीमती निकहत आलम पत्नि श्री महमूद आलम** **श्री इम्तियाज अली पुत्र श्री सैयद मुश्ताक अली** **सुश्री नाहिद अली पुत्री श्रीमती रईसा बी** **श्रीमती उजमा अली पत्नि श्री सैयद सरवर हुसैन** (जमानतदार के सभी कानूनी उत्तराधिकारी- **श्रीमती सायरा बी पत्नि श्री सैयद मुश्ताक अली**	₹ 2098527.88/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	01.07.2023 06.09.2023	सुबह प्रकाश (हिन्दी समाचार पत्र) पायोनियर (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 13.09.2023
केनरा बैंक, गोविन्दपुरा शाखा, भोपाल			
ऋणी : **मेसर्स कृष्णा ट्रेडर्स,** पता: प्लॉट नंबर बी 229 रामेश्वर कॉलोनी, बागमुगलिया भोपाल म.प्र. 462001 प्रोपराइटर- **श्री हर्ष कोठारी C/O श्री के पी कोठारी** पता: ए-22 एचआईजी गाडेगामटी ईस्ट सी अरविंद विहार भोपाल म.प्र.-23	₹ 10875566.83/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	19.01.2024 27.05.2024	स्वतंत्र समय (हिन्दी समाचार पत्र) फ्रीप्रेस (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 30.05.2024
केनरा बैंक, विदिशा शाखा, विदिशा			
ऋणी : **श्री मोहम्मद अंसार पुत्र हाजी अब्दुल सत्तार खान** पता: मकान नंबर 07, माता वाली गली 2, निकासा विदिशा 464001	₹ 1334559/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	13.08.2024 11.11.2024	हरिभूमि (हिन्दी समाचार पत्र) हितवाद (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 17.11.2024
केनरा बैंक, बीएचईएल शाखा, भोपाल			
ऋणी : **मेसर्स नारायण फैशन जोन,** दुकान नंबर 56, सेट लाइट प्लाजा, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अयोध्या नगर, भोपाल 462022 **द्वारा उनके प्रोपराइटर- नारायण प्रसाद बावरी पुत्र जानकी प्रसाद** पता: मकान नंबर एलआईजी 810, जी-सेक्टर, अयोध्या नगर, हुजूर भोपाल 462041	₹ 8,47,895.32/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	31.12.2021 24.03.2022	स्वदेश (हिन्दी समाचार पत्र) सेन्ट्रल क्रॉनिकल (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 31.03.2022
ऋणी : **मेसर्स सेहरास मोहर रेस्टॉरेन्ट** प्लॉट नंबर 107 गायत्री नगर, करमवीर नगर के पास, नरेला शंकरी, भोपाल-462021 **द्वारा इनके प्रोपराइटर- श्री इसरार अंसारी पुत्र श्री मकबूल अहमद अंसारी,** 102 ए सेक्टर, हजरत निजामुद्दीन कॉलोनी, हुजूर, बीएचईएल, भोपाल-462022 जमानतदार: **श्रीमती खुसरूननिशा पत्नि श्री मकबूल अहमद** 102 ए सेक्टर, हजरत निजामुद्दीन कॉलोनी, हुजूर, बीएचईएल, भोपाल-462022	₹ 852558.69 /- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	09.04.2021 14.10.2021	दैनिक जागरण (हिन्दी समाचार पत्र) हितवाद (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 19.10.2021
केनरा बैंक, गंजबासोदा शाखा, गंजबासोदा			
ऋणी : **मेसर्स राजपूत रेस्टॉरेंट,** काला बाग बरेठ रोड, तहसील गंज बासौदा, विदिशा (म.प्र.) 464221 प्रोपराइटर / ऋणी: **श्री पप्पू राजपूत पुत्र श्री करण सिंह गुलेचा** गंज बासौदा (म.प्र.) 464221 जमानतदार/बंधककर्ता: **श्रीमती अनीता पत्नी मुन्ना लाल,** ग्राम बेहलोट पंचायत हरदुखेड़ी जमना नगर गंज बासौदा (म.प्र.)	₹ 385809.42/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	02.05.2023 05.09.2023	सुबह प्रकाश (हिन्दी समाचार पत्र) पायोनियर (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 10.09.2023
ऋणी : **श्रीमती मालती बाई पत्नी श्री शैतान सिंह** **श्री शैतान सिंह अहिरवार पुत्र श्री गोपालाल** दोनों का पता: ग्राम माला पंचायत, माला पोस्ट बिशनपुर कुरवाई 464224	₹ 548775/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	07.07.2022 19.11.2022	दैनिक भास्कर (हिन्दी समाचार पत्र) पायोनियर (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 24.11.2022
केनरा बैंक, कोहेफिजा शाखा, भोपाल			
ऋणी : **श्री राम नारायण पाटीदार पुत्र श्री मांगीलाल पाटीदार** पता: ग्राम व पोस्ट झरखेड़ा तहसील श्यामपुर सीहोर म.प्र	₹ 771426.90/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	18.03.2024 31.05.2024	हरिभूमि (हिन्दी समाचार पत्र) हितवाद (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 04.06.2024
केनरा बैंक, करोंद बायपास शाखा, भोपाल			
ऋणी :1. **श्री अनिल कुमार मालवीय पुत्र श्री नर्मदा प्रसाद मालवीय स्व. श्रीमती रेखा मालवीय के कानूनी उत्तराधिकारी** 2. **स्व. श्रीमती रेखा मालवीय का कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी** पता: 67 इस्लाम नगर बैरसिया भोपाल म.प्र. 462038 जमानतदार: **श्री राजा यादव पुत्र श्री शिव नारायण यादव** पता:1020 पंचवटी कॉलोनी करोंद भोपाल म.प्र. 462038	₹ 936737.00/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	11.06.2024 14.08.2024	नवभारत (हिन्दी समाचार पत्र) सेन्ट्रल क्रॉनिकल (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 21.08.2024
केनरा बैंक, रायसेन शाखा, रायसेन			
ऋणी : **श्रीमती रुक्मणि खत्री पत्नि श्री रामस्वरूप खत्री** पता: वार्ड नंबर 7, चूड़ी मार्केट गंज बाजार रायसेन, मध्य प्रदेश 464551	₹ 840626.88/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	06.05.2024 21.08.2024	हरिभूमि (हिन्दी समाचार पत्र) फ्री प्रेस (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 24.08.2024
केनरा बैंक, सुल्तानिया रोड शाखा, भोपाल			
ऋणी : **श्री साद बिन खालिद** जमानतदार : **श्री खालिद अनवर सिद्दीकी** दोनों का पता: 12/3 नूर महल पत्थर वाली गली हुजूर भोपाल-462001	₹ 1788181.52 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	20.04.2024 12.07.2024	दैनिक भास्कर (हिन्दी समाचार पत्र) हितवाद (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 17.07.2024
केनरा बैंक, कोलार रोड शाखा, भोपाल			
ऋणी : **मेसर्स साहू लेडीज टेलर प्रोप सविता साहू पत्नी परसराम साहू,** पता: शॉप नंबर 137 ओम कॉम्प्लेक्स कोलार रोड भोपाल 462042 ऋणी : **(1) सविता साहू पत्नी परसराम साहू** जमानतदार (2) **श्री पारस राम साहू पुत्र छगन लाल साहू** पता 1 और 2: मकान नंबर 267, सेंट मैरी स्कूल के पीछे पंचशील नगर भोपाल	₹ 975324.72/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	12.07.2023 21.09.2023	लोकदेश (हिन्दी समाचार पत्र) पायोनियर (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 27.09.2023
केनरा बैंक, सिवनी मालवा शाखा, सिवनी			
ऋणी : **श्री संदीप कुमार रघुवंशी** सहऋणी /बंधककर्ता: **श्रीमती इंदु बाई रघुवंशी पत्नि रामबाबू रघुवंशी** दोनों का पता: वार्ड नं. 02, पाठक कॉलोनी, सिवनी मालवा, होशंगाबाद (म.प्र.)	₹ 13,25,511.19 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	31.01.2023 27.04.2023	नवभारत (हिन्दी समाचार पत्र) क्रॉनिकल (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 02.05.2023
केनरा बैंक, इटारसी शाखा, इटारसी			
ऋणी : **श्री सुरेंद्र सिंह भाटिया पुत्र श्री गुरु दयाल सिंह** जमानतदार : **श्री मलकीत सिंह भाटिया** दोनों का पता : श्री गुरु हरकिशन निवास पंजाबी मोहल्ला इटारसी 461111 जमानतदार : **श्री हरप्रीत सिंह छाबड़ा पुत्र श्री छत्रपाल सिंह छाबड़ा,** पता: वार्ड नंबर 18 गांधी नगर इटारसी, म.प्र.-461111	₹ 1573412.72/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	08.07.2024 16.11.2024	राजएक्सप्रेस (हिन्दी समाचार पत्र) पायोनियर (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 20.11.2024
केनरा बैंक, गुलमोहर शाखा, भोपाल			
ऋणी : **मेसर्स हेल्थ बॉक्स,** 66-बी आकाश गंगा कॉलोनी ईटी-8, गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल 462039 सहऋणी/बंधककर्ता: **श्री अक्षय वर्मा** जी-3/478, ई-8 गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल 462039 जमानतदार/बंधककर्ता: **श्रीमती कृष्णा वर्मा** जी3 382/04 नर्मदा अपार्टमेंट, गुलमोहर कॉलोनी भोपाल-462039 जमानतदार- **श्रीमती शशि वर्मा** जी3 382/04 नर्मदा अपार्टमेन्ट, गुलमोहर कॉलोनी भोपाल 462039	₹ 2286474.94/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	07.07.2022 24.08.2023	दैनिक जागरण (हिन्दी समाचार पत्र) फ्री प्रेस (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 27.08.2023
केनरा बैंक, लिंगा शाखा, छिन्दवाड़ा			
ऋणी : **कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामकिशन गुप्ता** पता: 01. सिंडिकेट बैंक लिंगा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश -480001 पता: 02. पता- एम/122, कोलवासरी दमुआ तह. जुन्नारदेव जिला-छिंदवाड़ा	₹ 1680209.62/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	18.08.2024 22.10.2024	दैनिक भास्कर (हिन्दी समाचार पत्र) हितवाद (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 26.10.2024
केनरा बैंक, सोहागपुर शाखा, सोहागपुर			
ऋणी : **महादेव कृषि सेवा केंद्र** **द्वारा प्रोपराइटर- श्री अनिल कुमार रघुवंशी** सिविल कोर्ट के पास, मेन रोड, सोहागपुर, होशंगाबाद (म.प्र.) **प्रोपराइटर- श्री अनिल कुमार रघुवंशी पुत्र लखन लाल रघुवंशी,** 64 कोर्ट रोड शास्त्री वार्ड, खंडेलवाल कॉलोनी, सोहागपुर होशंगाबाद (म.प्र.) जमानतदार: **श्री लखन लाल रघुवंशी पुत्र साहब सिंह** वार्ड क्रमांक 11 शास्त्री वार्ड, सोहागपुर होशंगाबाद (म.प्र.)	₹ 20,55,651.98 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	18.04.2023 11.07.2023	स्वदेश (हिन्दी समाचार पत्र) पायोनियर (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 13.07.2023
केनरा बैंक, कोलार रोड, भोपाल			
ऋणी :**मेसर्स जैनम बैग्स एंड फुटवियर** **प्रोपराइटर- श्री हर्ष दोशी** पता: दुकान नंबर यू 01 ब्लॉक बी, सागर कुंज, कोलार रोड, भोपाल मध्य प्रदेश, पिन-462042 ऋणी : **श्री हर्ष दोशी पुत्र श्री पंकज दोशी** पता: मकान नंबर 237 अकबर पुरा, कोलार रोड, भोपाल मध्य प्रदेश, पिन-462042 जमानतदार: **श्री शिराज दोशी पुत्र श्री पंकज दोशी** पता: प्लॉट नंबर 118-सी, सेक्टर, सर्वधर्म कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन- 462042	₹ 996919.600/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	09.09.2022 10.03.2023	प्रदेश टुडे (हिन्दी समाचार पत्र) पायोनियर (अंग्रेजी समाचार पत्र) प्रकाशन 15.03.2023

दिनांक : 30-11-2024 प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक